न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस

मुकदमा नंबर 11/2021

प्रार्थीगण

1. कमलेश पुत्र मैसाराम
2. राधेश्याम पुत्र मैसाराम
3. सरिता पत्नी ओमप्रकाश
4. अर्पित, दीप्ति पिता ओमप्रकाश समस्त जातियान खारवाल निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा जिला –बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी.ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित 1. श्री प्रार्थीगण स्वंय
2. सरकारी पैरोकार

आदेश दिनांक :–05.4.2021

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि सरहद मौजा मण्डापुरा के खसरा संख्या – 2774/192 रकबा 03.18.14 बीघा किस्म सेवज खातेदारी भूमि आई हुई है, जिसमें आने जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 1108/200 रकबा 08.08 सरहद मण्डापुरा में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, अनुसार रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/79 दिनांक 18.01.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा मंडापुरा के खेत खसरा न0 2774/192 जो प्रार्थीगण के नाम खातेदारी भूमि है जिसमे आवागमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा खसरा न0 1108/200 में से बाही जाने पर उक्त खसरे में से प्रस्तावित की है जो अधिक निकट एवं उपयुक्त है जो राजकीय प्रयोजनार्थ [illegible] भूमि है मौके पर खाली एवं विवादरहित है प्रस्तावित [illegible] दर 1274130/ रूपये प्रति बीघा है। मौके पर 30 फीट [illegible] बिस्वा 16 बिस्वांशी भूमि बनती है।

प्रार्थीगण एवं राजकीय पैरोकार को सुना गया, प्रार्थीगण ने तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक15.01.2021 के अनुसार रास्ता आवागमन के लिए प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने के लिए निवेदन किया गया तथा राजकीय सरकार ने भी तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार समस्त प्रार्थीगण से नियमानुसार डीएलसी रेट की देय दुगनी राशि जमा कराने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 18:43:11 IST
Reason: SelfAttested

किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। हमने पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार एवं तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक15.01.2021 के अनुसार मौजा मंडापुरा के खेत खसरा न0 – 2774 / 192 रकबा 03.18.14 बीघा किस्म सेवज मे आने जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 1108 / 200 रकबा 08.08 सरहद मण्डापुरा मे से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु नक्शा मानचित्र पुश्त पर अंकित बरंग लाल के अनुसार अवलोकन किया गया। इसके अलावा प्रार्थीगण के आवागमन के लिए अन्य कोई विकल्प मे रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे मौका एवं रेकार्ड से जांच की गई जिसके अनुसार एन. एच 25 से न्यूनतम दूरी अनुसार प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु 30 फीट चौडा रास्ता दिये जाने पर रास्ते की भूमि 2475 वर्ग फीट (82.5 फीट x 30 फीट) अर्थात 1 बिस्वा 16 बिस्वांशी होती है। रास्ते की स्थिति रिपोर्ट की पुश्त पर अंकित नजरी मानचित्र में दर्शाए गये अनुसार है। चुंकि प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु चाहा गया है। इस संबंध मे संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज 6 / 12 / 4 दिनांक 14.06.2013 के द्वारा राजकीय भूमि में से रास्ते के लिए प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण के आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को न्यायहित मे स्वीकार कर खेत खसरा मंडापुरा के खेत खसरा न0 – 2774 / 192 रकबा 03.18.14 बीघा किस्म सेवज मे आने जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 1108 / 200 रकबा 08.08 सरहद मण्डापुरा में से 30 फीट चौडा रास्ता सलग्न तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त फर्द मौका दिनांक 15.01.2021 में चिन्हित बरंग लाल, के अनुसार 1 बिस्वा 16 बिस्वारी भूमि रास्ता स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट 12,74,130/– प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित 1 बिस्वा 16 बिस्वारी प्रभावित भूमि की राशि 1,14680 रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति के रूप में राशि रूपये 229,360/– रूपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर ही तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही [illegible] सुनिश्चित करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 15.01.2021 [illegible] निर्णय का भाग समझ कर साथ पढा जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 18:43:11 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 05.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा